

02-11-16

1472
03-11-16

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

जयपुर, दिनांक 27 OCT 2016

कमांक :- प.10(20)आयु / 2015

:- आदेश :-

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापित संख्या 4/2013 के परिपेक्ष्य में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त सशोधित आरक्षित वरीयता सूची दिनांक 28.03.2016 के अनुक्रम में निम्नानुसार अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे-बैंड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 (संख्या 15) में 2 वर्ष के प्रवेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय/औषधालयों में किया जाता है, नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को परीवीक्षाकाल के दौरान नियमानुसार नियत पारश्रमिक 22180/- (अक्षरे बाइस हजार एक सौ अरसी रूपये/-) मासिक दिया जायेगा :-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	प्राप्तांक	पदस्थापन स्थान
1	HEMLATA SONI	VISHNU KUMAR SONI	21-09-85	FEMALE	OBC-NC	56.19	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, धन्टियाली, फलौदी, जोधपुर (रिक्त पद पर)

- उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7291/15 एवं 10398/13 एवं डी.पी.सिविल याचिका संख्या 3152/15 एवं अन्य विचाराधीन याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश अध्याधीन मानी जायेगी।
- उक्त नियुक्तियाँ एस.एल.पी. संख्या 18272-76/2008 एवं रिट याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010, 5347/2015, 1085/2015 डी.बी. स्पेशल संख्या 544/2015 एवं रिट पिटीशन संख्या 1862/2013 में अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ. 14(1)एफ.डी./रूल्स/2013/पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुशरण नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा, यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
- गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक विभाग (क-3) विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावित होंगे।
- सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी इस प्रकार का बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।

6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
7. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के यहाँ करवाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपनी उपस्थिति निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के कार्यालय में दिनांक 15.11.2016 तक निश्चित रूप से देनी होगी। नियत तिथि तक किसी अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जायें उक्त नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
9. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर से दस्तावेज सत्यापन होने के उपरान्त एवं संबंधित की जन्म तिथि का सत्यापन एवं अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण मूल दस्तावेजों से करने के बाद ही कार्यग्रहण कराने के आदेश जारी करें।
10. परीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्सकों का कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
11. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धूम्रपान निषेध प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अधधीन रहेगी।

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-Mail 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. adlavurvedajm@yahoo.co.in
3. estayurved2014@gmail.com

Telephone No. 0145-2425047
0145-2425835
0145-2425993

क्रमांक प01/प्रति-1/चिकि0/नियुक्ति/2016/ 23540 दिनांक 3-11-2016
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर
2. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी जोधपुर
4. निदेशालय की कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित को दी जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 14.11.2016 तक निदेशालय में उपस्थित होकर अपने वांछित दस्तावेज यथा पुलिस वेरीफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र 2, दहेज संबंधी वचन पत्र, संतान संबंधी वचन पत्र आदि की जांच हेतु निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर में उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।
6. सामान्य पत्रावली


(कृष्ण चन्द्र शर्मा)
अति० निदेशक